न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2023/60

अपील संख्या – 22/23

मूर्ति श्री गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान धुन्धेश्वर ग्राम चूली जरिये संरक्षक वाद मित्र शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास जाति ब्राहम्ण निवासी धून्धेश्वर चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र जौहरी
2. रामस्वरूप पुत्र जौहरी(मृतक)
   2/1. कैलाशी बेवा रामस्वरूप
   2/2. केशव पुत्र रामस्वरूप
   2/3. मुकेश पुत्र रामस्वरूप
   2/4. छुटन पुत्र रामस्वरूप
3. हरकेश पुत्र जौहरी
4. बृजलाल पुत्र छगन
5. श्रीफूल पुत्र छगन
6. रामकेश पुत्र छगन
7. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 37/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री परमानन्द शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम खान

दिनांक 15.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की खातेदारी की भूमि बंदोबस्त सम्वत 2008 लगायत 11 खसरा न0 625,626,627,628,634,635 ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित है। जिसके एकीकरण मे ख0न0 290 एवं 296/2 कायम किये है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के बाबा सोन्या पुत्र पैमा का सम्वत 2008 से पूर्व से ही कब्जा था तथा रिकार्ड मे भी वह उक्त भूमि के उपकृषक दर्ज थे। सम्वत 2012 मे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर राज्य सरकार द्वारा मंदिर के हक मे एवं मंदिर के भोग विसास एवं अन्य खर्चो के लिए ऐन्यूटी जारी कर दी गई एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम [illegible] प्रार्थीगण के बाबा सोन्या पुत्र पैमा को उक्त भूमि के खातेदार दर्ज कर दिये गये तभी [illegible] पर प्रार्थीगण के बाबा एवं उनके मरने के बाद प्रार्थीगण के पिता एव [illegible] उक्त भूमि पर काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करते चले आ रहे है । एकीकरण सम्वत 2018 मे भी उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के बाबा सोन्या पुत्र पैमा जाति माली निवासी खानपुर बडौदा के नाम दर्ज होकर आई है। एकीकरण ख0न0 290 से वर्तमान सेटलमेंट मे नये नम्बर 678 एवं 296/2 से नये नम्बर 675 रकबा 0.43 है0 कायम किये है। जिन पर साबिक की भांति कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा है। वर्तमान सेटलमेट मे सेटलमेंट विभाग ने बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को मंदिर श्री गोविन्ददेवजी के नाम दर्ज कर दी। जबकि भूमि एक बार खालसा होने के बाद तथा उपकृषक को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत खातेदारी अधिकारी प्रदान करने के बाद उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता। लेकिन सेटलमेट विभाग विभाग वालो ने बिना किसी अधिकार के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। सेटलमेंट की उक्त गलती के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 5.5.19 को प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। इस प्रकार सेटलमेंट की उक्त गलती की आड मे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिसके कारण उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0न0 675 रकबा 0.43 है0 तथा 678 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम खानपुर बडोदा तहसील गंगापुर सिटी मे प्रार्थी० को बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज कर विधि के विरूद्व पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति शाश्वत नाबालिंग की विधिक स्थिति तथा उसके संदर्भ मे प्रचलित सुस्थापित विधि तथा न्यायिक दृष्टांतो की हिंसा कर आदेश पारित किया है। मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है जिसकी सम्पति या कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का स्वामित्व या खातेदारी अधिकार किसी भी रूप म उत्पन्न नही हो सकते है। चूकिः मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है तथा उसकी इच्छा के विरूद्व उसकी सम्पति या कृषि भूमि पर काबिज व्यक्ति की हैसियत मात्र एक अतिकमी की होती है। वादीग्रस्त कृषि भूमि से अपीलार्थी मूर्ति के भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था जमाने बुर्जगान से वाद मित्रो द्वारा ही की जाती रही है। परन्तु सवंधित प्रत्यर्थीगण द्वारा मूर्ति की भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी मूर्ति उक्त कृषि भूमि के लाभ से बंचित हो गई है। मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने के कारण उसके हितो की [illegible] का दायित्व विधि अनुसार न्यायालय पर है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] कर अपीलार्थी की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बावत का[illegible] आक्षेपित आदेश से निरस्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो० का पुराना कब्जा दर्शाते हुए कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवरी की आड मे कब्जे से बेदखल नही किये जाने का अपने आदेश मे अंकन किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति की विवेचना करते समय मूर्ति शाश्वत नाबालिंग के संबंध मे प्रचलित सुस्थापित विधि एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो की अवहेलना की है। जिससे यह बाबत भली भांति प्रमाणित है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है जिसकी कृषि भूमि के संबंध मे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है ना ही मूर्ति की इच्छा के विरूद्व कोई व्यक्ति कृषि भूमि को कब्जे मे रख सकता है। मूर्ति के हितो की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय पर है। जिसका अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट उल्लेख किया गया था साथ ही रेस्पो० द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने, अवेध रूप से भूखण्डो की शक्ल मे विक्रय करने के दस्तावेज पेश किये गये थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की हिंसा कर आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और प्रस्तुत मूर्ति के हितार्थ रिसीवर नियुक्त किये जाने के संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व दस्तावेजो अथवा विधिक स्थिति की कोई विवेचना नही की गई है। केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांता चस्पा नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा किया है कि उभयपक्ष के मध्य उत्पन्न गंभीर प्रश्नो का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना न्यायोचित होगा। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्वजो के समय से रेस्पो० के कब्जे की भूमि मानकर उक्त विधिक स्थिति की सरेआम हिंसा की है। जबकि उक्त तथ्य उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णित किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजीयात ख०न० 675 रकबा 0.43 है०, 678 रकबा 0.58 है० वाके ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी के संबंध मे अपीलार्थी मूर्ति शाश्वत नाबालिंग के हितार्थ रिसीवर नियुक्त कर भूमि को कब्जे राज मे लेकर रिसीवर से वादग्रस्त भूमि की काश्त व्यवस्था करवाई जावे।

रेस्पो० के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी भूमि बंदोवस्त सम्वत 2008 से 2011 ख०न० 625,626,627,628,639,635 ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित है.। जिस पर उपकृषकक के रूप मे रेस्पो० के बाबा सोन्या पुत्र पैमा का कब्जा काश्त दर्ज था। जागीर पुर्नग्रहण के समय इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिया गया तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि की खातेदारी रेस्पो/प्रार्थीगण के बाबा सोन्या पुत्र पैमा के नाम कर दी। खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा काश्त सोन्या पुत्र पैमा का उनके मरने के बाद रेस्पो/प्रार्थीगण का रहा है। एकीकरण सम्वत 2018 मे इस भूमि के नवीन नम्बर 290 व 296/2 कायम किये गये है एवं वर्तमान मे भू प्रबंध ने इसके नये नम्बर 675 रकबा 0.45 है० तथा ख०न० 676 रकबा 0.58 है० कायम किये है। सेटल[illegible] यह भूमि गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि पहले [illegible] 1952 मे खालसा दर्ज कर दी गई व मंदिर के हक मे एन्यूटी जारी [illegible] प्रार्थीगण के बाबा सोन्या भूमि के उपकृषक थे इसलिए उन्हे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत सही रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी दी गई लेकिन गलती से सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई जबकि भूमि पर कब्जा रेस्पो/प्रार्थीगण का चला आ रहा है। अपीलांट/अप्रार्थी के मन मे बदनियती आ जाने के कारण एवं रूपये ऐठने की नियत से अधिनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर भूमि को रिसीवरी मे लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न मतो मे स्पष्ट किया है कि कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवरी की आड मे बेदखल नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही अपीलांट/अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया है। माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने निर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के बाद भूमि मंदिर की खुदकाश्त के रूप मे दर्ज है तथा उसकी खातेदारी पुजारी के नाम हो जाती है तो पुजारी के नाम से निरस्त कर पुनःमंदिर के नाम दर्ज किया जाना चाहिए क्योकि यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी लेकिन जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय या बाद मे भूमि पर तृतीय पक्ष खातेदार,पटटेदार,खादिमदार या उपकृषक के रूप मे दर्ज है तो खातेदारी उसी व्यक्ति के पक्ष मे दर्ज कर दी गई है तो उक्त भूमि को वापस मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है। यदि सेटलमेट विभाग द्वारा ऐसी भूमि को दौराने सेटलमेट मंदिर के नाम दर्ज कर दी जाती है तो राजस्व अधिकारियो की जानकारी मे आते ही राज्य सरकार द्वारा दुरूस्ती की कार्यवाही कर खातेदारी उक्त व्यक्ति के नाम दर्ज कर देनी चाहिए। सेटलमेट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का प्रार्थीगण/रेस्पो0 अधिकारी है। सेटलमेंट की गलती की आड मे अपीलांट/अप्रार्थीगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित होने एवं कब्जा भी रेस्पो/प्रार्थीगण का होने के कारण ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात पूर्व मे मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिये जाने पर जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान दे दिये गये। विचाराधीन प्रंकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्राईमाफेसी केस,सुविधा का सुतलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। चूकिः विवादित आराजीयात सेटलमेट से पूर्व प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज रही है तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का होना सिद्व होता है। इस प्रकार अपीलांट/अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के मद्देनज[illegible] अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट की अपील जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आ[illegible] है। खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 37/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner